संशोधन आदेश

संख्या- 161 / 2023 / 962 / चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 29 मार्च, 2023

विषय:- कम्युनिटी रेडियो 'जयघोष' के रेडियो टावर एवं एन्टीना के विस्तार पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या- 157/2023/962/चार-2023 दिनांक 28 मार्च, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 157/2023/962/चार-2023 दिनांक 28 मार्च, 2023 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तों में आंशिक संशोधन करते हुए उल्लिखित शर्तों के साथ निम्नलिखित शर्तों को सम्मिलित किया जाता है:-

(4) कम्युनिटी रेडियो की स्थापना एवं संचालन विषयक शासनादेश संख्या- 106/2022/482/चार-2022 दिनांक 30 मार्च, 2022 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(5) उक्त वित्तीय स्वीकृति की धनराशि आहरित कर उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी और अकादमी द्वारा सत्यापन समिति की संस्तुति पर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

3. शासनादेश संख्या- 157/2023/962/चार-2023 दिनांक 28 मार्च, 2023 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 161 /2023 / 962 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ।
5- प्रबंधक, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लि0 यूपीडेस्को लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/ वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in